

पाण्डेय के साथ ही अनेक सेवा निवृत्त शिक्षक और पदाधिकारी शामिल रहे।

होगा कि उसकी बेतुकी बयानबाजी पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, उसके साथियों को भी एतराज है। उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि अगर उसने नीतियां नहीं बदलीं तो उसके नेतृत्व को लेकर विपक्षी गठबंधन में भरोसा काम नहीं रह पाएगा। जिसका असर आने वाले दिनों में होने जा रहे दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के चुनाव नतीजों में दिख सकता है।

ऑर्डर दो, फिर मंडी पहुंच जाती है चीन के

संबाददाता-गोरखपुर। मंडी में चीन बाजार लहसुन घटल्ले से बिक रहा है। अपने फायदे के लिए कच्चा बाजार अपनी कोशिश में भी खिंचवाकर कर रहे हैं। नेपाल से होकर आ रहे इस लहसुन की कच्चाबाजार के नेटवर्क में महिलाएं भी शामिल हैं। ये महिलाएं झीलों में संचल लेकर मंडी में पहुंच रही हैं। ये कहती हैं- बड़ी खेप का ऑर्डर दो। ऑर्डर देते ही प्रभावित होकर लहसुन की खेप पहुंचा दी जाती है। साबरजन सीमा में नेपाल से सटे इलाकों से चीन के नेटवर्क की सहायता हो रही है। मध्याह्नपर बड़ा कटौती है। सिद्धार्थनगर सीमा की चीन की तरफकी हो रही है। सांभार को मंडी की करीब अगली दुकानों पर चीन का लहसुन बिक रहा था। दुकानों पर चीन और चीनी दोनों लहसुन रखा था। चीन का लहसुन बेचने वाले व्यापारी ने बताया कि यह साइज में बड़ा होता है और इसको छीलना भी आसान है। देखने में यह साधारण-सुसारा लगता है और सरसता भी है, जिससे आसानी से बिक जाता है। चीन का लहसुन जल्दी खराब भी नहीं होता है। हरी, देसी लहसुन महंगा होने की वजह से जल्दी नहीं बिकता।

वाहन में लगवाई हुई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
संबाददाता-अम्बेडकरनगर। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। बिना एचएसआरपी कोटा वाहन चेकिंग में मिलने पर जुर्माना लगता है। इसलिए सभी को अपने हर स्तर के वाहन पर एचएसआरपी लगाव लेना चाहिए। अन्यथा पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।

सोलर पंप का पंजीयन कराएं किसान
संबाददाता-अम्बेडकरनगर। ऋणमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 में किसानों से सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पंजीकृत किसानों को पहले आपको पहले पाजो के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। किसान इस योजना के तहत सोलर पंप का पंजीयन कराएं।

ग्राममंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 में सोलर पंप के लिए किसानों से किसानों का ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। पंजीकृत आवेदन को पहले आपको पहले पाजो के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। किसान सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फसल का बीमा कराएं किसान
संबाददाता-अम्बेडकरनगर। दैवीय आपदा से फसलों को सुरक्षित करने के लिए फसलों का बीमा होना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। फसल का बीमा गर ऋणी किसान बैंक व कर्मीयों से समर्थ करके करा सकते हैं।

दम्पति के बीच मतभेद हुआ खत्म
संबाददाता-अम्बेडकरनगर। आपसी मित्रता के चरिते दोस्ती को बीच घट गया विवाद सोमवार को खत्म हो चला। पारिवारिक विवाद की शिकायत मिलने पर महिला थानाक यहा शिवागिनी तलाक़ ने दम्पति को थाने पर बुलाया और उपनिरीक्षक सुभाना, हेल्थ डेस्क काफ़ी आरक्षी प्रिया मिश्रा व सलिला के अक्षय प्रसासी से दोनों के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराया। थानास्थान ने बताया कि दम्पति के बीच बीते कुछ दिनों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से विवाद होता रहता था जिनको समाप्त बुझाकर एक साथ रहने के लिए राजी किया गया।

22 को निकाली जागी शौर्य यात्रा

संबाददाता-गोरखपुर। विश्व हिन्दू परिषद के प्रांतीय कार्यालय पर आगामी 22 दिसंबर को निकलने वाली शौर्य यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक बैठक हुई। इसमें विधि और संस्कार दल के पदाधिकारियों को मॉट्स साइकिल रैली के साथ ही मंचीय कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। विधिप के दूरगंज सिपाही ने कहा कि शौर्य यात्रा को लेकर कार्यालयों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बैठक में विभाग मंत्री सौंदर, महापौर सांजन मंत्री सोप्रेष्ठ, संजित श्रीवास्तव, अंकित मिश्र रावतारा, प्रदीप राय, राहुल पांडेय, शशिकांत गुप्ता, देवीलाल, अशोक सिंह, मिथिलेश मल्ल, दीपक मौर्य, देवेश बैथ, शशांक निपाटी आदि उपस्थित रहे।

लहसुन की बड़ी खेप

साबरजन मंडी में यह लहसुन 240 से 260 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। देसी लहसुन 320 रुपये से 400 रुपये तक बिक रहा है। 80 से 100 रुपये सत्ता और साफ-सुथरा दिखने की वजह से लोग इसे जल्द खरीद भी रहे हैं। साबरजन मंडी में चीन का लहसुन 240 से लेकर 260 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। यदि किसी को ज्यादा मात्रा में लेनी हो तो चीन के लहसुन की कीमत 220 रुपये तक भी लग जा रही है। बाजार में चीन का लहसुन काफी आम हो गया है। इससे वे व्यापारी परेशान हैं, जो देसी लहसुन बेचते हैं। लहसुन के थोक कारोबारी पवन सिंह ने बताया कि चीन के लहसुन की वजह से मंडी में काम खराब हो गया है। देसी लहसुन की डिमांड काफी प्रभावित हो गई है। कुसुमग्राम देसी और कुटकरा दुकानों पर चीन का लहसुन बेच रहा है। यूक्रेन बाई देसी लहसुन से सरसता है, इसकी वजह से आसानी से बिक जा रहा है। ऐसे में देसी लहसुन बेचने वाले दुकानदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चीन के लहसुन की डिमांड रोक लगाना चाहिए। उमरा मंडीया, अध्यक्ष, साबरजन किसान कमेटी ने कहा कि महेबा सलिल विभिन्न जगहों से चीन का लहसुन महेबाकर व्यापारी बेच रहे हैं।

अदालती नोटिस
समन बरगज इन्फिकल मुकदमा (आईर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जापा 200 ई0)
मुकदमा सं0 / 2024
गंधा 116 उपप्रकार0सं 2006
अदालत- श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय में हंदावल जिला-संतकबीरनगर नगर
रजिया खानतु
बनाम
राम अतार आदि
1. राम अतार पुत्र गोमती 2. राजेन्द्र पुत्र संतकबीर 3. संताती पत्नी सुन्दर 4. श्रीमती कमली पत्नी संतराम निवासीगणम वल विष्णुपुराण तथा व तहसील महेदवाल परगना माहर पूरव जिला-संतकबीरनगर 5. राजासम 6. रामकरन पुत्रगण झगर 7. पुन्यवती 8. रामदीन पुत्रगण माहर 9. गिरोजे 10. अलुल पुत्रगण रामवरन 11. गंगोत्री पत्नी रामवरन 12. रामनाथ पुत्र रामवलरन 13. दुर्गावती पत्नी रामवलरन 14. सुखई 15 अकेल 16. गणेश पुत्रगण रामदीर 17. किसनती पत्नी रामदीर निवासीगणम वल काटी तथा व तहसील महेदवाल परगना माहर पूरव जिला-संतकबीरनगर
-प्रतिवादी प्रथम वर्ग
18. ग्राम समा सरफरा धार ग्राम प्रभवक सरफरा तथा व तहसील महेदवाल परगना माहर पूरव जिला-संतकबीरनगर
तारीख पेशी 10-01-2025
वाजह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दापर की है। लिहाजा आपको हुम होता है कि आप बतारीख 10 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन बनुकाम असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगवा वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन बरगज इन्फिकल मुकदमा (आईर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जापा 200 ई0)
मुकदमा सं0
गंधा 116 उपप्रकार0सं 2006
अदालत- श्रीमान उप जिलाधिकारी बांसी जिला-सिद्धार्थनगर बालेदान
बनाम
गांव समा आदि
1. रामजनरन 2. कृष्ण बिहारी पुत्रगण श्यामलाल साकिन जीवा तथा कुदरान हाल मुकाम मु0 आर्यनगर नग0पुगाबांसी जिला-सिद्धार्थनगर 3. अरविन्द कुमार 4. अनुप कुमार पुत्रगण शिवजलन साकिन जीवा तथा कुदरान हाल मुकाम मु0 आर्यनगर नग0पुगाबांसी जिला-सिद्धार्थनगर 5. अशोक कुमार पुत्र शिवजलन साकिन जीवा तथा कुदरान हाल मुकाम मु0 अकेल नगर नग0पुगाबांसी जिला-सिद्धार्थनगर 6. श्रीमती कोशित्या पत्नी शिवजलन साकिन जीवा तथा कुदरान हाल मुकाम मु0 आर्यनगर नग0पुगाबांसी जिला-सिद्धार्थनगर 7. श्रीमती कल्ला गुला पत्नी राधेकृष्ण साकिन जीवा तथा कुदरान हाल मुकाम मु0 आर्यनगर नग0पुगाबांसी जिला-सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 27-12-2024
वाजह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दापर की है। लिहाजा आपको हुम होता है कि आप बतारीख 27 माह 10 सन 2024 ई0 बखत 10 बजे दिन बनुकाम असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगवा वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन बरगज इन्फिकल मुकदमा (आईर 5 कायदा 1 और 5 या0प्र0 संहिता 1908)
मूवावल-प्रतिवादी 32म/2024
न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) स्थान-बांसी जिला-सिद्धार्थनगर
महेताब आलम
बनाम
समसुलतुल खान आदि
1. समसुलतुल खान पुत्र मु0 हदीश खान साकिन बहराइत फार कोड़ी परगना बांसी पूरव तहसील बांसी पुरव बेतिया जिला-सिद्धार्थनगर हाल मुकाम झायन्द फारर रूम नं-4 10/20 सन गुरुजी माघ एफवी0 सफकपाल मार्ग मुम्बाई जेकैब सर्किल महाराष्ट्र 400011
-प्रतिवादी प्रथम पक्ष
2. श्रीमती साविला पत्नी मु0 इनम साकिन काजी कटरा शहर तहसील व जिला-बहराइत
-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष
3. तुफेल अहमद उर्फ खैराती पुत्र अली हुसेन मुकरी साकिन नकदहा तथा चर परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला-सिद्धार्थनगर हाल मुकाम खुशीपुर शहर गोरखपुर व सलारगंज पानी टंकी के पास बहराइत तहसील व जिला-बहराइत
-प्रतिवादी तृतीय पक्ष
तारीख पेशी 02-01-2025
प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये वाद स्थितित हो है। आपको इस न्यायालय नं दिनांक 02.01.2025 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसज्जत (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता वीरड द्वारा उप सज्जत हो सकते हैं। लिये सम्यक अनुदेश दिये गये हैं और जो बात से सम्बन्धित सभी साधन प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे खस पक्ष को उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप सज्जत के लिये दिन निमत किया गया है वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिये निमत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को उस दिन अपने दल के साथ साक्षियों को या उन सब दलवाजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिष्ठा के लिये निम्न रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने बतारी मी तारीख को इस न्यायालय में उपसज्जत नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख को मेरे अहमदपुर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-233/2023
न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) माहंदा वरसी जिला-बस्ती
सत्य प्रकाश
बनाम
पूजा चौबे आदि
1. पूजा चौबे उम्र करीब 25 साल पुत्री राम प्रकाश निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
-प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. राम प्रकाश उम करीब 47 साल पुत्र हरदीप निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 06-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 06 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-354/2021
न्यायालय-श्रीमान सपन अतिथि सिविल जज (जु0डि0) माहंदय बस्ती जिला-बस्ती
रामनयन आदि
बनाम
राम महीत आदि
1. राम महीत उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्रगण रामदेव 3. प्रभुनाथ उम लगभग 35 वर्ष 4. शिवनाथ उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण राम सुख साकिनाना मनी गंगेशपुर टोला चुवाई तथा नगेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 22-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 22 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-233/2023
न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) माहंदा वरसी जिला-बस्ती
सत्य प्रकाश
बनाम
पूजा चौबे आदि
1. पूजा चौबे उम करीब 25 साल पुत्री राम प्रकाश निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
-प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. राम प्रकाश उम करीब 47 साल पुत्र हरदीप निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 06-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 06 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

बेदखली सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शोहरत लाल पुत्र श्री राम फुलारे ग्राम- गोठवा थाना-रखौली जमपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। पेश एक पुत्र प्रेमचन्द व तीन पुत्रियां संगलाला देवी, अनिता देवी, सुनीता देवी हैं। पुत्रियों का विवाह हो चुका है। मेरे पुत्र प्रेमचन्द का चाल चलन ठीक नहीं है। वह आये दिन अपनी पत्नी अनिता गोमंत के साथ परिवार में कलह किया करता है। समझाने पर भी नहीं मानते। मुझे और मेरी पत्नी को उर्मिला को भी मारते-पीटते हैं। इसे देखते होते मैं और पत्नी उर्मिला अपने पुत्र प्रेम चन्द और उसकी पत्नी अनेला गोमंत को उसे 10-12-2024 से अपने घर व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रहे हैं। प्रेमचन्द और अनिता अपने किसी भी कृत्य, लेन देन, वाद विवाद आदि के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब उसका मेरे परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आये।
दो हाकिम

सर्व रातों में असहयोग की सुध ले रही योगी सरकार बेसहारों को रैन बसेरे तक पहुंचा रहे अधिकारी



संबाददाता-गोरखपुर। शीतलहर और सर्द मौसम का सर्वांगिक प्रभाव निरक्षित, असहाय, कमजोर और गरीब तबक पर पड़ता है। शहर व कस्बाई क्षेत्र में तो कई ऐसे असहाय और गरीब होते हैं जिन्हें के लिए ठंड भी रातों में तक गुजराना मुश्किल होता है। विगत सालों की भांति एक बार फिर योगी सरकार ने सर्द रातों में असहायों की सुध लेने का अभियान शुरू किया है।
एवं राज्य एवं आयादा के प्रमारी अधिकारी वनीत कुमार सिंह के द्वारा निर्गत, असहाय, कमजोर और गरीब व्यक्तियों को अधिकारियों ने निकट के रैन बसेरों में पहुंचाया। अधिकारियों ने रैन बसेरों में निरक्षर, कलक की उपलब्धता और साफ सफाई का भी जांचा लिया।
गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र में 14 रैन बसेरें संचालित हैं। इनमें से चार रैन बसेरों का 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण भी किया था। साथ ही उन्होंने तीन नए रैन बसेरें बनाने की निर्देश दिए थे। गोरखपुर शहर क्षेत्र के अलावा सभी नगर पंचायतों में भी एक-एक रैन बसेरें संचालित हैं।

धर्मसिंहवा,कोपिया का बौद्ध टीला बनेगा पर्यटन स्थल

संबाददाता-संतकबीरनगर। पर्यटकों को लुभाते के लिए प्रशासन द्वारा प्रयासरत है। कबीर की परिनिर्वाण स्थली पर जहां किंवदंती के कार्य करण जा रहे हैं वही बखिरा कुंभी शिखर को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। प्रशासन ने अब गौतम बुद्ध से जुड़े तथ्यों को विकसित करने का प्रयास तैयार कर पर्यटन विभाग के जरिए शासन को भेजा है। इसमें 6 मंसिहवा और कोपिया बौद्ध टीला शामिल है। इस पर करीब दस करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 6 मंसिहवा कस्बे में लगभग 2700 वर्ग पुराना बौद्ध स्तूप है। इसकी सम्य से उच्छिष्ट पाई है। अप्रार 2020 में बरिषा के कारण स्तूप नरमरा कर गिर गया था। इसके बाद पर्यटन विभाग को बौद्ध स्तूप के पुनरुद्धार के लिए 48 लाख रुपये अनुमति देय थे। इस वही बौद्ध स्तूप के ढांचे को पुराना रखने पर तो कार्य किया गया है। अब इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सुदुरीकरण, हेलीकॉप्टर सड़क, पथ प्रकाश व्यवस्था, माह आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच आदि कार्य करण जाऐंगे। इसके साथ बौद्ध स्थल कोपिया को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग के जरिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाऐंगी। इसके बाद कार्य शुरू किए जाऐंगे।

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-233/2023
न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) माहंदा वरसी जिला-बस्ती
सत्य प्रकाश
बनाम
पूजा चौबे आदि
1. पूजा चौबे उम करीब 25 साल पुत्री राम प्रकाश निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
-प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. राम प्रकाश उम करीब 47 साल पुत्र हरदीप निवासी राम छिन्नी तथा हवेली परगना बस्ती पूरव मु0 सण्डा तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 06-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 06 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-354/2021
न्यायालय-श्रीमान सपन अतिथि सिविल जज (जु0डि0) माहंदय बस्ती जिला-बस्ती
रामनयन आदि
बनाम
राम महीत आदि
1. राम महीत उम लगभग 80 वर्ष पुत्रगण रामदेव 3. प्रभुनाथ उम लगभग 35 वर्ष 4. शिवनाथ उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण राम सुख साकिनाना मनी गंगेशपुर टोला चुवाई तथा नगेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 22-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 22 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-354/2021
न्यायालय-श्रीमान सपन अतिथि सिविल जज (जु0डि0) माहंदय बस्ती जिला-बस्ती
रामनयन आदि
बनाम
राम महीत आदि
1. राम महीत उम लगभग 80 वर्ष पुत्रगण रामदेव 3. प्रभुनाथ उम लगभग 35 वर्ष 4. शिवनाथ उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण राम सुख साकिनाना मनी गंगेशपुर टोला चुवाई तथा नगेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 22-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 22 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-354/2021
न्यायालय-श्रीमान सपन अतिथि सिविल जज (जु0डि0) माहंदय बस्ती जिला-बस्ती
रामनयन आदि
बनाम
राम महीत आदि
1. राम महीत उम लगभग 80 वर्ष पुत्रगण रामदेव 3. प्रभुनाथ उम लगभग 35 वर्ष 4. शिवनाथ उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण राम सुख साकिनाना मनी गंगेशपुर टोला चुवाई तथा नगेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 22-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 22 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारावल उम्र तनकीर तलव (आईर 5 कायदा 1 व 5)
मूवावल री0-354/2021
न्यायालय-श्रीमान सपन अतिथि सिविल जज (जु0डि0) माहंदय बस्ती जिला-बस्ती
रामनयन आदि
बनाम
राम महीत आदि
1. राम महीत उम लगभग 80 वर्ष पुत्रगण रामदेव 3. प्रभुनाथ उम लगभग 35 वर्ष 4. शिवनाथ उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण राम सुख साकिनाना मनी गंगेशपुर टोला चुवाई तथा नगेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 22-01-2025
हरगाह ने आपके नाम नालिस बाबत के दापर की है। लिहाजा आपका 22 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन बरगज इन्फिकल मुकदमा (आईर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जापा 200 ई0)
मुकदमा सं0 T 202217450301514 धारा 144 उपप्रकार0सं 2006
अदालत- श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय महेदवाल जिला-संतकबीरनगर नगर
राधेन्द्र प्रसाद सिंह
बनाम
राजमन आदि
1. राजमन पुत्र मुन्नु 2. फूलचन्द 3. रामशब्द 4. वरु पुत्रगण राजाराम 5. श्रीमती सुभावती पत्नी राजाराम 6. नांदर 7. सुरेन्द्र पुत्रगण बुद्धिराम निवासीगण राम भववलिवा पाण्डेय तथा तहसील महेदवाल परगना माहार पूरव जिला-संतकबीरनगर
-प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
8.ग्राम पंचवाल मनाई जरिये ग्राम प्रधान मनाई तथा व तहसील महेदवाल परगना माहार पूरव जिला-संतकबीरनगर 9. सरकार उप0प्र0 जरिये जिलाधिकारी संतकबीर नगर
-प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 09-01-2025
वाजह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दापर की है। लिहाजा आपको हुम होता है कि आप बतारीख 09 माह 01 सन 2025 ई0 बखत 10 बजे दिन बनुकाम असासलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से कारर वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्र अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इन्फिकल कर्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदाला करना चाहते हो पेश करे।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा बरर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन बरगज इन्फिकल मुकदमा (आईर